न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 85/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज कुमार जैन प्रर्वतन अधिकारी, किशनगढ

.....प्रार्थी

बनाम

श्री गणेश वैष्णव पुत्र श्री जगदीश वैष्णव, प्रोपराइटर मैसर्स गणेश टेन्ट हाउस, मुख्य बाजार, बांदरसीदंरी, तहसील किशनगढ, जिला–अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.05.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.11.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री संजय माथुर के साथ प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी एल.पी. जी. गैस के अवैध कारोबार की शिकायत पर अप्रार्थी के टेन्ट हाउस की जांच अप्रार्थी की उपस्थिति में की गई। अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से छः एच.पी. कम्पनी के भरे हुए सिल्ड घरेलू गैस सिलेण्डर, छः एच..पी.कम्पनी के तथा एक इण्डेन कम्पनी के खाली सिलेण्डर, एक 19 किलोग्राम श्रेणी का व्यवसायिक सिलण्डर तथा पॉच छोटे गैर प्रमाणित सिलेण्डर इस प्रकार कुल 19 सिलेण्डर बरामद किये गये। पूछताछ में इन बदामद सिलेण्डरों बाबत अप्रार्थी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा गैर प्रमाणित गैस सिलेण्डरों में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर से गैस भरना स्वीकार किया गया। तलाशी में अप्रार्थी के पास से चार गैस भरने की बंसुरियॉ भी बरामद की गई। इससे अप्रार्थी के अवैध गैस रिफलिंग के कारोबार में लिप्त होने की पुष्टि पर मौके से बरामद उक्त समस्त गैस सिलेण्डर/सामग्री राजहित में कब्जे राज ली जाकर मैसर्स एच.पी. कृष्णा गैस अंराई के कार्मिक श्री टीकम चन्द पुत्र श्री जुगल किशोर कलाल को अग्रिम आदेश तकि यथावत सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा गैस सिलेण्डर/सामग्री को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.11.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये समस्त घरेलू, व्यवसायिक एवं अप्रमाणित गैस सिलेण्डर तथा गैस भरने की बांसुरियों को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि जब्त सामग्री से अप्रार्थी का कोई वास्ता नहीं है एवं ना ही कोई मालिकाना हक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में जब्त सामग्री से उनका कोई वास्ता/मालिकाना हक नहीं होने होने के कथन कहें है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जेराज लिये गये एच.पी. कम्पनी के छः भरे हुए (सिल्ड) घरेलू गैस सिलेण्डर, एच..पी.कम्पनी के छः तथा इण्डेन कम्पनी का एक खाली सिलेण्डर, 19 किलोग्राम श्रेणी का व्यवसायिक सिलण्डर एक तथा छोटे गैर प्रमाणित सिलेण्डर पॉच, इस प्रकार कुल 19 सिलेण्डर तथा चार गैस भरने की बंसुरियॉ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। शेष राजसात सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner